वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 270/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-30.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 30.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना अतरौलिया: किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण -

दिनांक 20.07.2025 को वादिनी मुकदमा के द्वारा तहरीर दी गई कि पिछले कई महिनों से विपक्षी अरमान शाह पुत्र मो0 मजीद शाह सा0 तेन्दुवाईकला थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वादिनी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना व वादिनी द्वारा शादी करने हेतु कहने पर विपक्षी अरमान शाह द्वारा मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध वादिनी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0242/25 धारा 69,115(2),351(3) बीएनएस बनाम अरमान शाह पुत्र मो0 मजीद शाह सा0 तेन्दुवाईकला थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर के पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना धारा 3/ 4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है ।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 30.07.2025 को उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरमान शाह पुत्र मो0 मजीद शाह सा0 तेन्दुवाईकला थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर को सीमा हास्पिटल के पीछे (अतरौलिया) से समय 10.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 0242/25 धारा 69,115(2),351(3) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1-अरमान शाह पुत्र मो0 मजीद शाह सा0 तेन्दुवाईकला थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 रमेश सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 महेश सरोज थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

02. थाना पवईः 24 घण्टे के अन्दर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

दिनांक 29.07.2025 वादी श्री हरिप्रकाश यादव पुत्र स्व0 श्रीराम यादव सा0 धुरीपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.07.25 को अपनी मोटरसाईकिल H.F डीलक्स नं0 UP 50 A.H 1918 जिसे प्रमोद मिस्त्री की दुकान पवई बाजार मे रिपेयरिंग हेतु दिया था जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 217/25 धारा- 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 29.07.25 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 बाल अपचारी को चोरी गये मोटरसाइकिल के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल स्थित सुलेमापुर से नेवादा जाने वाली सर्विस रोड से समय 22.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोगः

1.मु0अ0सं0 217/25 धारा- 303(2) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी ---

1-मो0सा0 H.F डीलक्स नं0 UP 50 A.H 1918

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा, मय हमराह थाना पवई, आजमगढ़।

03.थाना- महराजगंजः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 19.06.2025 को वादिनी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की लड़की उम्र 16 वर्ष को दिनांक 11.06.2025 को शाम के करीब 05.30 बजे कमलेश पुत्र झीनक राम सा0 नुरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया है , के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/25 धारा 87/137(2) बढोत्तरी धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम कमलेश पुत्र झीनक राम सा0 नुरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ । दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी व साक्ष्य संकलन से अभियुक्त शशि कुमार पुत्र राम सनेही सा0 गंगापुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जिसे पूर्व में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड प्राप्त कर जिला कारागार आजमगढ़ मे दाखिल किया गया था तथा अभियुक्त कमलेश पुत्र झीनक राम उपरोक्त फरार चल रहा था जिसकी विवेचना उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव द्वारा की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 30.07.2025 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त 1. कमलेश पुत्र झीनक राम सा0 नुरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को जमीलपुर तिराहे से दिनांक 30.07.2025 को समय 07.05 बजे सुबह में हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. कमलेश पुत्र झीनक राम सा0 नुरपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीडिता

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 180/25 धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी में लेने वाली टीम –

1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय हमराह म0उ0नि0 पिंकी का0 आनन्द कुमार का0 राजकुमार यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ।